

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूजीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक: एफ/महा.वि.प./2011/ 3599

दिनांक: 30/07/11


## // अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, सिटी कोतवाली के पास, एम.एस. रोड, मुरैना

मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद्  
2. डॉ. ओ.पी. मिश्रा, आचार्य, गणित अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

  
अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, सिटी कोतवाली के पास, एम.एस. रोड, मुरैना की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
अधिष्ठाता  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : गूलीबर्दिनी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कम्प्यूटर)  
2442452 (विवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एक/सम्बद्धता/2012/५७७

दिनांक 25/04/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार श्री वैष्णव कॉलेज, ऑफ मैनेजमेंट, मुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, वी.कॉम. तृतीय वर्ष, (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. विषय), बी.एस.सी. प्रथम वर्ष, (आ.पा. भौतिक, रसायन, गणित, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस, अति. विषय) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य और 28(17) के अन्तर्गत जिन शिक्षकों के जो चयन किये गये हैं उनका अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
2. साइंस विषय के शिक्षकों की नियुक्ति 6 माह के भीतर 28(17) में करें।
3. लीज की भूमि पर महाविद्यालय के विस्तार हेतु महाविद्यालय की सोसायटी के नाम जो भूमि है, उस पर भवन का निर्माण करें।
4. ग्रन्थालय में 25,000/- की पुस्तकें एवं लैब में 1,00,000/-के उपकरण क्रय करें।
5. खेल का मैदान विकसित करें।
6. शिक्षकों का वेतन बैंक अथवा बैंक के माध्यम से करें।
7. महाविद्यालय परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।


सीट संख्या :- बी.एस-सी. में प्रत्येक ग्रुप में 30 (तीस)

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, मुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, म्पेती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उपकुलसचिव (सम्बद्धता)